

ISSN - 0973-1528

148

Bhupendra Kumar
C/o Dr. D.N. Suryavanshi
Saisadan, Mahajan Chowk,
Durg (Chhattisgarh)
Durg (Chhattisgarh)

96/147

4 Copies



महलों की आरजू ये है कि बरसात तेज हो,
सहम उठते हैं कच्चे मकान पानी के खौफ से

An International Registered and Referred Monthly Journal

Impact
Factor
2.782
2015

“अनुष्ठानं महाराष्ट्रस्य पूर्वमोक्षोत्सवः
सिद्धिं कुर्वन्ने देव स्वर्गाय नमः”

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

Link

:: CIRCULATION ::

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka /
Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal



Since
March 2002

An International,
Registered & Referred
Monthly Journal :

Political Science

Research Link - 148, Vol - XV (5), July - 2016, Page No. 66-67

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : एक विश्लेषण (छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के विश्लेषण पर आधारित है। शोधपत्र छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अध्ययन से सम्बंधित है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। इस व्यवस्था से स्वतंत्रता के पश्चात् की सर्वाधिक बड़ी राजनीतिक भर्ती संभव हो पाई है। अनुसूचित जाति वर्ग जैसे पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्राप्त नेतृत्व विकेन्द्रीकरण का विशेषीत आयाम है। प्रस्तुत शोध ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आये महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी* एवं किरानी तिग्गा**

महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। परिवार के साथ-साथ अर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के नवीन आयामों का विस्तार हुआ है। एक ओर संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान करके लैंगिक आधार पर की जाने वाली असमानता को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया है, तो दूसरी ओर विकास कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम अपनाए गए हैं। इनके कार्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। परिणामतः भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास की वृहद् प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण महिला की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है।

अध्ययन के उद्देश्य :

अध्ययन के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है - प्रमुख उद्देश्य एवं गौण उद्देश्य। इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य राजनांदगांव जिले की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के स्तर से परिचित होना, जागरूकता के प्रमुख कारकों एवं जागरूकता की क्रियाओं का अध्ययन करना है। गौण उद्देश्य निम्नांकित हैं, (1) महिलाओं की राजनीति क्रियाओं की प्रभावोत्पादकता पता लगाना। (2) पारंपरिक राजनीतिक संगठनों में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका ज्ञात करना। (3) ग्रामीण संस्कृति में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका ज्ञात करना। (4) पंचायती राज-व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका ज्ञात करना। (5) महिलाओं पर पड़ने वाले

राजनीतिक प्रभावों को ज्ञात करना। (6) महिला जागरूकता को विकसित करने वाले संभावित तत्वों की खोज करना।

शोध की उपादेयता :

वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एवं विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित शोध हमेशा ही प्रासंगिक एवं उपादेय होता है। इस शोध की उपादेयता निम्नांकित बिन्दुओं में स्पष्ट है :

(1) छत्तीसगढ़ में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं से निर्मित है। अतः राज्य की राजनीतिक दशा-दिशा निर्धारित करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। उनकी राजनीतिक सहभागिता का स्तर ही उनकी भूमिका भी निर्धारित करेगा। इस दिशा में यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(2) वर्तमान समय में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत आदि में आरक्षण दिया गया है तथा भविष्य में राज्य विधानसभा एवं संसद में भी आरक्षण दिये जाने पर विचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाओं में नेतृत्व के अवसर, उनकी भूमिका तथा राजनीति में उनकी रुचि पर यह अध्ययन मार्गदर्शन कर सकता है।

(3) पंचायती राज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामवासियों में शिक्षा का स्तर क्या है और उनकी चेतना कितनी विकसित हुई है। महिलाओं के बौद्धिक एवं चेतनात्मक विकास के बिना पंचायती राज की सफलता संभव नहीं है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करेगा कि महिलाओं में नेतृत्व एवं राजनीति की समझ कितनी है और उसके विकसित होने में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं।

(4) राजनीतिक सहभागिता का स्तर शिक्षा, संचार, भौगोलिक

* प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय महिला महाविद्यालय, कवर्धा (छत्तीसगढ़)

■ Research Link - An International Journal - 148 ■ Vol - XV (5) ■ July - 2016 ■ 66

कारक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रस्थिति आदि से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन इन सभी कारकों के अध्ययन के आधार पर महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कर सकेगा।

(5) छ.ग. नवोदित राज्य है, अतः लोकतांत्रिक राज्य की सफलता एवं सत्ता के विकेन्द्रकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण भाग महिलाओं का राजनीतिक समाजीकरण सही दिशा में हो रहा है या नहीं इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। अन्यथा लोकतंत्र की भावना एकांगी और संकुचित रह जाएगी। इस अध्ययन से महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता की स्थिति ज्ञात होगी, जिससे उनके राजनीतिक समाजीकरण का मूल्यांकन करने में सुविधा होगी।

प्राक्कल्पनाएँ :

- (1) महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता अत्यंत न्यून होती है।
- (2) महिलाएँ सामान्यतः राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होती हैं।
- (3) महिलाओं में राजनीतिक क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ उनके अपने परिवार के निर्णयों से प्रभावित होती हैं।
- (4) महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर साक्षरता, जीवन स्तर एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है।
- (5) महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता उनके अपने सामाजिक संगठन और संसति द्वारा निर्धारित होती है।
- (6) महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता को विभिन्न साधनों से विकसित किया जा सकता है।
- (7) पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- (8) महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता का प्रकटीकरण केवल विभिन्न निर्वाचनों के समय ही दिखाई देता है।

अध्ययन पद्धति :

प्रत्येक शोध का अंतिम उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए अंतिम सत्य की खोज करना है। इसके लिए उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्यकरण संबंध की विवेचना करते हुए यथार्थ तक पहुँचना होता है।

प्रस्तुत अध्ययन अनुभव-परक वृत्त में सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। तथ्य संकलन साक्षात्कार विधि से किया गया है। क्रमबद्धता एवं पूर्णता को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूची बनाकर सूचनाएँ एकत्रित की गई हैं। तथ्यों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ग्रामों का निरीक्षण कर महिलाओं के साक्षात्कार, ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली से संबंधित समस्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का तथा ग्रामवासियों से वार्तालाप कर तथ्यों का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद एवं जिला पंचायत तथा महिला कल्याण विभाग आदि से आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन किया गया है। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग हेतु अध्ययन हुआ है।

सुझाव :

- (1) भारत में पंचायती राज के साथ विकेन्द्रीत की समस्या को दूर करना चाहिए।
- (2) पंचायती राज में महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता को बढ़ाना चाहिए।

(3) पंचायती राज में महिलाओं और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व भी सुरक्षित किया जाना चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की स्थिति को भी सुधारना चाहिए।

(5) ग्रामीण कल्याण तथा पुनर्निर्माण में महिलाओं का औपचारिक रूप से योगदान होना चाहिए।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। इस व्यवस्था से स्वतंत्रता के पश्चात् की सर्वाधिक बड़ी राजनीतिक भर्ती सम्भव हो पाई है। अनुसूचित जाति वर्ग जैसे पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्राप्त नेतृत्व विकेन्द्रीकरण का विशेषीत आयाम है। प्रस्तुत शोध ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है। तथा 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है।

संदर्भ :

- (1) राज., एम.पी. (1969) : भारतीय शासन राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
- (2) आहुजा, राम. (2003) : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- (3) राठी, एम. (2010) : पंचायती राज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
- (4) शर्मा, हरिशचन्द्र (1968) : भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
- (5) कोठारी, रजनी (2005) : भारत में प्रशासन एवं राजनीति, दिल्ली।
- (6) फड़िया, बी. एल. (2010) : भारत में पंचायती राज व्यवस्था का भविष्य, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।

